न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 118/2016 वाद पत्र

उनवान

1–सोसर पत्नी शंभु सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर (भीलवाड़ा)

2–नारायणी पत्नी गोपाल सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर (भीलवाड़ा)

वादीगण

बनाम

1–मीठु पत्नी सोहन सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर (भीलवाडा)

2–सन्तु पत्नी सुख सिंह जाति जाति रावणा राजपूत निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुर (भीलवाड़ा)

3–श्रीमान् लेण्ड होल्डर सा0 जरिये तहसीलदार रायपुर (भीलवाड़ा)

4–शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर (भीलवाड़ा)

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज0 टी0 एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादी
2. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय — दिनांक 23.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मोखुन्दा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 11.02.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मांसिगपुरा तहसील रायपुर के खाता संख्या 321 में अंकित आ.स. 1516/1343 कुल किता 01 कुल रकबा 0.20 है0 मे वादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा वादी संख्या 02 1/4 हिस्सा एवं प्रस्तुत काण्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था। जिसकी पालना में दिनांक 23.05.2017 को तहसीलदार रायपुर द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम माहसिंगपुरा के आराजी नम्बर 1516/1343/4 रकबा 0.05 हे0 सोसर पत्नि शंभुसिंह रावणा राजपूत सा0 देह खातेदार, आराजी नम्बर 1516/1343/3 रकबा 0.05 हे0 मिठु पत्नि सोहनसिंह रावणा राजपूत सा0 देह खातेदार, आराजी नम्बर 1516/1343/1 रकबा 0.05 हे0 संतु पत्नि सुख सिंह रावणा राजपूत सा0 देह खातेदार, आराजी नम्बर

516/1343/2 रकबा 0.05 हे0 नारायणी पत्नि गोपालसिंह रावणा राजपूत सा0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी मोखुन्दा बदस्तुर दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा